संख्या:53/2017/1964जेएल/22-3-17-100(122)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध मा0 सदस्य विधान परिषद/विचाराधीन बंदी बृजेश सिंह पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ सिंह को दिनांक 11-07-2017 से आहूत विधान परिषद सत्र में भाग लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-24507/सामा-1(2)/इला0 परि0-।।/2016, दिनांक 10-07-2017 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध मा0 सदस्य विधान परिषद/विचाराधीन बंदी बृजेश सिंह पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ सिंह को विधान मण्डल सत्र के दौरान रात्रि विश्राम हेतु जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- बंदी की निरूद्धि की यह अंतरिम व्यवस्था है। सत्र की समाप्ति के उपरान्त उक्त बंदी को वापस केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध कर दिया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:53/2017/1964जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ।
5- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ/वाराणसी।
6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ/वाराणसी।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in